36

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' संबंधी बत्तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

छत्तीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

अगस्त, 2022/ श्रावण, 1944 (शक)

सी सी एंड एफ संख्या 164

छत्तीसवां प्रतिवेदन

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' संबंधी बत्तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

08 अगस्त, 2022 ***को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।***

08 अगस्त, 2022 ***को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।***

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

अगस्त, 2022/ श्रावण, 1944 (शक)

विषय सूची

		पृष्ठ
समिति (2021-22) की संरचना		(iv)
प्रस्तावना		(vi)
अध्याय एक	प्रतिवेदन	**1**
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	14
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती	34
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकाता है	35
अध्याय पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	44
	परिशिष्ट	
एक.	रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की दिनांक 04. अगस्त, 2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	45
दो.	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' संबंधी रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण	48

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि——सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री श्रीदिव्येन्दु अधिकारी
3. श्री एम.बदरुद्दीन अजमल
4. श्री दीपक बैज
5. श्री रमाकान्त भार्गव
6. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
7. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा
8. श्री संजय शामराव धोत्रे
9. श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि
10. श्री कृपानाथ मल्लाह
11. श्री वसावा प्रभुभाई नागरभाई
12. श्री सत्यदेव पचौरी
13. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
14. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद
15. श्री अरुण कुमार सागर
16. श्री एम. सेल्वराज
17. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
18. श्री अतुल कुमार सिंह
19. श्री प्रदीप कुमार सिंह
20. श्री उदय प्रताप सिंह
21. श्री इंद्रा हांग सुब्बा

राज्य सभा

22. श्री अयोध्या रामी रेड्डी
23. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर
24. डॉ. अनिल जैन
25. श्री अंतियुर पी. सेल्वरासू

26. श्री अरूण सिंह
27. श्री विजय पाल सिंह तोमर
28. श्री के. वेंलेल्वना
29. रिक्त*
30. रिक्त*
31. रिक्त

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	—	संयुक्त सचिव
2.	श्री नबीन कुमार झा	—	निदेशक
3.	श्री कुलविन्दर सिंह	—	उप सचिव
4.	श्री पन्ना लाल	—	अवर सचिव

*रिक्त देखें श्री एम. बी. श्रेयम्स कुमार (एलजेडी), संसद सदस्य (राज्य सभा) राज्य सभा की सदस्यता से दिनांक 02.04.2022 को सेवानिवृत्त हुए। (आरएसएस आई.डी. संख्या 1(2)2019-समन्वय दिनांक 18.01.2022)

*रिक्त देखें श्री जयप्रकाश निषाद (बीजेपी), संसद सदस्य (राज्य सभा) राज्य सभा की सदस्यता से दिनांक 04.07.2022 को सेवानिवृत्त हुए। (आरएसएस आई.डी. संख्या 1(2)2019-समन्वय दिनांक 18.01.2022)

प्रस्तावना

मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की सभापति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' विषयक बत्तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी यह छत्तीसवां प्रतिवेदन उनकी ओर से प्रस्तुत करती हूं।

2. बत्तीसवां प्रतिवेदन दिनांक 21 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) ने बत्तीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का उल्लेख करते हुए दिनांक 12 जुलाई, 2022 को अपने उत्तर प्रस्तुत किए। समिति ने दिनांक 4 अगस्त, 2022 को हुई अपनी बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

3. समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट-दो में दिया गया है।

4. संदर्भ और सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित की गई हैं।

नई दिल्ली;
04 अगस्त, 2022
13 श्रावण, 1944 (*शक*)

कनिमोझी करुणानिधि
सभापति,
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

अध्याय एक

यह प्रतिवेदन रसायन एवम् उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदान मांगों 2022-23 के संबंध में समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

1.2 21 मार्च 2022 को बत्तीसवां प्रतिवेदन लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इसमें 12 टिप्पणियां/सिफारिशें शामिल थीं। सभी सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं और उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:-

एक. टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:-

सिफ़ारिश सं. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12	(कुल = 08)
प्रतिवेदन के अध्याय-दो में शामिल	प्रतिशत: 67%

दो. टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती:-

शून्य	(कुल = 0)
प्रतिवेदन के अध्याय-तीन में शामिल	प्रतिशत: 00.00%

तीन. टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:-

सिफ़ारिश सं.1, 2, 3 और 5	(कुल = 04)
प्रतिवेदन के अध्याय-चार में शामिल	प्रतिशत: 33%

चार. टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं:-

शून्य	(कुल =0)
प्रतिवेदन के अध्याय-पांच में शामिल	प्रतिशत: 00.00%

1.3 समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-I में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट यथाशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाए।

1.4 समिति अब अपनी कुछ पूर्व की टिप्पणियों/सिफारिशों पर चर्चा करेगी, जिन्हें या तो दोहराए जाने की या जिन पर और टिप्पणी करने की आवश्यकता है।

सिफ़ारिश सं. 1

<u>2022-23 के बजट अनुमानों में अपर्याप्त बजटीय आबंटन</u>

1.5 2022-23 के लिए बजट अनुमानों में अपर्याप्त बजटीय आबंटन के संबंध में, समिति ने निम्नानुसार सिफारिश की थी:-

"समिति नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के लिए उर्वरक विभाग से संबंधित मांग संख्या 6 के संबंध में 109242.23 करोड़ रुपये का बजटीय आबंटन किया गया है। यह आबंटन विभाग की विभिन्न योजनाओं और नीतियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 176760.59/- करोड़ रुपये की अनुमानित मांग के संबंध में किया गया है। इस संबंध में, समिति यह जानकर निराश है कि बजट अनुमान आबंटन में 67518.36/- करोड़ रुपये की कटौती की गई है जो विभाग की अनुमानित आवश्यकताओं का 38% है। उर्वरक विभाग के अनुसार, वर्ष 2022-23 के लिए सब्सिडी निधियों की अनुमानित आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवंटित राशि पर्याप्त नहीं है और अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता का कच्चे माल और उर्वरकों के मूल्यों के आधार पर 2022-23 के लिए सं.अ./अनुपूरक के समय पूनर्मूल्यांकन किया जाएगा और मांग की जाएगी। तथापि, सं.अ. चरण से पहले व्यय केवल ब.अ. आबंटन के आधार पर किया जाता है। सं.अ. को अधिकतर प्रत्येक वर्ष दिसम्बर तक अंतिम रूप दिया जाता है और इसे अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच के माध्यम से नियमित किया जाता है। इसलिए, सं.अ. चरण में अनुमोदित निधियां ज्यादातर वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान ही विभाग तक पहुंचती हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान ब.अ. चरण में 84041.39 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था जिसे संशोधित स्तर पर बढ़ाकर

149663.28 करोड़ रुपये कर दिया गया था, जो ब.अ. की तुलना में लगभग 78% अधिक था। निधियों की इतनी देर से प्राप्ति के परिणामस्वरूप, उर्वरक विभाग 31 जनवरी, 2022 की स्थिति के अनुसार केवल 117675.14 करोड़ रुपये खर्च करने में सक्षम था। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, समिति का मानना है कि 2022-23 के लिए अनुमानित आवश्यकता और बजटीय आबंटन में अंतर के परिणामस्वरूप अंतत: यूरिया और पीएण्डके उर्वरक सब्सिडी दोनों के संबंध में दावों के भुगतान/निपटान में देरी हो सकती है और इस प्रकार समग्र रूप से उर्वरक क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, समिति ने पहले भी सिफारिश की थी कि वित्त मंत्रालय को उर्वरक विभाग को ''प्राथमिकता विभाग'' के रूप में घोषित करने के लिए उच्चतम स्तर पर आश्वस्त किया जाए ताकि विभाग की निधि आवश्यकताओं को बिना किसी कटौती के पूरा किया जा सके। बजट अनुमान स्तर पर निधियों की भारी कमी पूरे वर्ष के लिए व्यय योजना को बाधित करेगी और सब्सिडी भुगतान के लिए संशोधित अनुमान स्तर पर निधि का पर्याप्त आबंटन वित्त मंत्रालय और उर्वरक विभाग दोनों की खराब योजना को दर्शाता है। अत:, समिति सिफारिश करती है कि उर्वरक विभाग अपनी बजटीय योजना प्रक्रिया को मजबूत करे और निधियों की सटीक मांग करे ताकि अपनी सब्सिडी योजनाओं के लिए बिना किसी कटौती के ब.अ. स्तर पर ही अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धन आवंटित करने के लिए वित्त मंत्रालय को विश्वस्त जा सके। सब्सिडी प्राप्त दरों पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के महत्व को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय इस विभाग को प्राथमिकता दे और विभाग द्वारा अपेक्षित निधियों को ब.अ. स्तर पर ही आवंटित करने का प्रयास करे जिससे विभाग को निधियों का समय पर और इष्टतम उपयोग करने में सुविधा होगी और अंतत: देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसके अनुपालन के लिए इस समिति द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से वित्त मंत्रालय को भी अवगत कराया जाए। समिति को इस संबंध में की गई प्रगति से अवगत कराया जाए।"

सरकार का उत्तर

1.6 समिति की उपर्युक्त सिफारिशों के उत्तर में रसायन एवम् उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) ने निम्नानुसार बताया है:-

"उर्वरक विभाग उर्वरकों की आवश्यकता एवं कच्चे माल एवं उर्वरकों की विद्यमान कीमतों के आधार पर आगामी वर्ष के लिए किये गये अनुमानों के आधार पर बजट प्रस्ताव भेजता है। इसे उचित औचित्य के

साथ वित्त मंत्रालय को अवगत करा दिया जाता है। यदि कभी अधिक धन की आवश्यकता होती है, तो वित्तीय वर्ष के दौरान निधि की स्थिति/उपयोग के आधार पर विभिन्न चरणों, अर्थात प्रथम, द्वितीय और तृतीय पूरक तथा संशोधित अनुमान चरण, में इसकी मांग की जाती है। विभाग यह सुनिश्चित करता है कि निधि की कोई कमी नहीं रहे और हर स्तर पर आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है तथा वित्त मंत्रालय से निधि की मांग की जाती है। विगत में, वित्त मंत्रालय ने हमारी आवश्यकता के अनुसार सभी चरणों में निधि उपलब्ध कराई गई हैं।

स्थायी समिति की सिफारिशों को वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है।"

1.7 समिति ने नोट किया कि विभाग को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1,76,760.59 करोड़ रुपये की मांग की तुलना में 1,09242.23 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जो ब.अ. से 38% कम है। विभाग के अनुसार, वर्ष 2022-23 के लिए सब्सिडी निधियों की अनुमानित आवश्यकता को पूरा करने के लिए आबंटित निधियां पर्याप्त नहीं हैं और अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और 2022-23 के लिए सं.अ. / अनुपूरक मांगों के समय मांग की जाएगी, जिसे वर्ष के अंत तक दिसंबर के महीने में अंतिम रूप दिया जाता है। समिति ने अपने प्रतिवेदन में आगे बताया कि विभाग को 2021-22 के लिए ब.अ. स्तर पर 84041.39 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी, जिसे सं.अ. चरण में बढ़ाकर 1,49,663.28 करोड़ रुपये कर दिया गया था, अर्थात, ब.अ. की तुलना में लगभग 78% की वृद्धि हुई थी। तथापि, निधियों को देरी से जारी किए जाने के कारण, विभाग 31 जनवरी, 2022 तक केवल 1,17,675.14 करोड़ रुपये ही खर्च कर सका। समिति ने यह भी पाया कि सं.अ. चरण में अनुमोदित निधियां अधिकतर वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान ही विभाग तक पहुंचती हैं। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और यह देखते हुए कि वर्ष 2022-23 और 2021-22 के लिए विभाग के ब.अ. और सं.अ. के बीच एक बड़ा अंतर है, समिति ने विभाग को अपनी बजटीय आयोजना प्रक्रिया को सुदृढ़ करने और निधियों की सही मांग प्रस्तुत करने की सिफारिश की थी। तथापि, समिति को इस बात का खेद है कि बजटीय आयोजना प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में नहीं बताया गया है। इसलिए समिति अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराती है कि बजटीय आयोजना प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है और तदनुसार समिति को अवगत कराया जाए। विभाग ने बताया है कि विगत में, वित्त मंत्रालय ने

उनकी आवश्यकता के अनुसार सभी चरणों में निधियां प्रदान की हैं। इसलिए, अब, विभाग के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह वास्तविक ब.अ. आकलन तैयार करे।

सिफ़ारिश सं. 2

<u>सं.अ. 2022-23 में आबंटन के लिए प्रस्तावों को समय पर रखना</u>

1.8 आरई 2022-23 में आबंटन के लिए प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत करने के संबंध में, समिति ने निम्नानुसार सिफारिश की थी:-

"समिति इस बात को नोट करके चिंतित है कि विभाग को पोषकतत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के लिए 72702 करोड़ रुपये के बजटीय प्रस्ताव के स्थान पर ब.अ. 2022-23 में 42000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यूरिया सब्सिडी के संबंध में, विभाग को वर्ष 2022-23 में 104016.64 करोड़ रुपये की आवश्यकता की तुलना में 67202.42 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, यूरिया सब्सिडी के संबंध में 2022-23 के लिए ब.अ. आबंटन 2021-22 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 21% कम है और 2021-22 के सं.अ. की तुलना में इस बार एनबीएस सब्सिडी में 35% की कमी आई है। वर्ष 2022-23 के ब.अ. चरण में बजटीय आबंटन में कमी के कारणों और यूरिया और एनबीएस सब्सिडी योजनाओं की निधि आवश्यकताओं को पूरा करने में इसकी पर्याप्तता के संबंध में उर्वरक विभाग ने कहा है कि वित्त मंत्रालय ने सरकार की प्राथमिकताओं और उपलब्ध वित्तीय आवश्यकता के अनुसार निधियों का आबंटन किया है। निधियों की वास्तविक आवश्यकता बाजार में कुछ उर्वरकों और कच्चे माल के प्रचलित मूल्यों पर निर्भर करेगी। हालांकि, यदि आवश्यकता होती है, तो यह वित्त मंत्रालय से अनुरोध करेगा कि वह सं.अ. 2022-23 चरण पर और 2022-23 के दौरान अनुपूरक अनुदान मांगों में अतिरिक्त धन आवंटित करे। विगत वर्षों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, समिति का विचार है कि 2022-23 के ब.अ. चरण में बजटीय आबंटन यूरिया और एनबीएस सब्सिडी योजनाओं के अंतर्गत संपूर्ण निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अत:, समिति सिफारिश करती है कि उर्वरक विभाग पूरे वर्ष के लिए निधि की आवश्यकता का आकलन करे और सं.अ. 2022-23 में अतिरिक्त आबंटन करने के लिए वित्त मंत्रालय के समक्ष अपना प्रस्ताव समय पर रखे ताकि वर्ष के दौरान स्वदेशी और आयातित उर्वरकों दोनों के लिए यूरिया और एनबीएस सब्सिडी योजनाओं के अंतर्गत अपनी

अनुमानित आवश्यकताओं को पूरा कर सके। समिति को इस संबंध में किए गए उपायों से अवगत कराया जाए।"

<u>सरकार का उत्तर</u>

1.9 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवम् उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) ने निम्नानुसार बताया है:-

"समिति द्वारा सुझाई गई सिफारिश पर विधिवत विचार किया जाता है। कार्यक्रम प्रभाग यूरिया और एनबीएस योजनाओं के तहत व्यय और उपलब्ध निधियों की नियमित रूप से निगरानी कर रहे हैं। निधि की अतिरिक्त आवश्यकता होने पर, यदि कोई हो, उनकी संशोधित अनुमान - 2022-23 चरण में समय पर मांग की जाएगी।"

1.10 समिति ने सिफारिश की थी कि विभाग को पूरे वर्ष के लिए निधियों की आवश्यकताओं का आकलन करना चाहिए और सं.अ. 2022-23 में अतिरिक्त आबंटन करने के लिए वित्त मंत्रालय के समक्ष अपना प्रस्ताव समय पर रखना चाहिए ताकि वर्ष के दौरान स्वदेशी और आयातित दोनों उर्वरकों के लिए यूरिया और एनबीएस सब्सिडी योजनाओं के तहत अपनी अनुमानित आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। समिति ने इस संबंध में किए गए उपायों से उसे अवगत कराने की इच्छा व्यक्त की थी। विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि समिति द्वारा सुझाई गई सिफारिशों पर समुचित विचार किया जाता है लेकिन विभाग द्वारा उठाए गए कदम, यदि कोई हों, के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। अत: समिति यह जानना चाहती है कि मंत्रालय द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं।

सिफ़ारिश सं. 3

<u>अग्रेनीत (कैरी-ओवर) देनदारियों को समाप्त करने की आवश्यकता</u>

1.11 अग्रेनीत (कैरी-ओवर) देनदारियों को समाप्त करने की आवश्यकता के संबंध में, समिति ने निम्नानुसार सिफारिश की थी:-

पिछले कुछ वर्षों में स्वदेशी और आयातित यूरिया और पीएण्डके उर्वरकों दोनों की भारी मात्रा में कैरी ओवर देनदारियों के संचय पर, जो उचित बजटीय योजना की कमी को दर्शाता है, अपनी चिंता व्यक्त करते हुए समिति ने निम्नानुसार सिफारिश की है:-

"समिति यह नोट करके चिंतित है कि स्वदेशी और आयातित यूरिया के संबंध में 2021-22 के दौरान सब्सिडी के भुगतान के लिए अनुमानित अग्रेनीत (कैरी-ओवर) देनदारियां (सीओएल) क्रमश: 6000 करोड़ रुपये और 12300 करोड़ रुपये होगी और स्वदेशी और आयातित पीएण्डके उर्वरकों के संबंध में यह क्रमश: 1300 करोड़ रुपये और 2073 करोड़ रुपये होगी। 2021-22 के अंत तक स्वदेशी और आयातित यूरिया और पीएण्डके उर्वरकों के संबंध में सीओएल के रूप में कुल 21673 करोड़ रुपये जमा होने की संभावना है। इस संबंध में, उर्वरक विभाग ने बताया कि उसने 2021-22 की तिमाही-IV में स्वदेशी यूरिया निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तीसरे अनुपूरक अनुदान के तहत 6000 करोड़ रुपये के अनुदान का अनुरोध किया है और यदि अनुपूरक अनुदान प्रदान नहीं किया जाता है, तो वित्त वर्ष 2022-23 में 6000 करोड़ रुपये की अनुमानित अग्रेनीत (कैरी-ओवर) देनदारियों का निपटान किया जाएगा। विभाग ने वित्त मंत्रालय से आयातित यूरिया के संबंध में सीओएल को समाप्त करने के लिए तीसरे अनुपूरक अनुदान के तहत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने का भी अनुरोध किया है। हालांकि, स्वदेशी पीएण्डके तथा आयातित पीएण्डके के संबंध में सीओएल को उपलब्ध बजट (सं.अ.2021-22) से मार्च, 2022 के अंत तक पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाने की संभावना है। समिति वर्ष-दर-वर्ष अग्रेनीत (कैरी-ओवर) देनदारियों को संचित करने की उर्वरक विभाग की प्रवृत्ति की निंदा करती है। यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से इसकी बजटीय प्रक्रिया में उचित योजना की कमी को दर्शाती है। इस संबंध में, समिति सिफारिश करती है कि उर्वरक विभाग एक ठोस तंत्र विकसित करे ताकि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी और आयातित उर्वरकों दोनों के संबंध में सब्सिडी के भुगतान के लिए सं.अ. चरण निधि आवश्यकताओं का सटीक अनुमान लगाया जा सके और सं.अ. स्तर पर निधि आबंटन के लिए वित्त मंत्रालय के समक्ष एक सटीक मांग रखें ताकि विभाग वित्तीय वर्ष के अंत तक बिना किसी सीओएल के सब्सिडी के भुगतान के लिए संपूर्ण सं.अ. आबंटन का समय पर उपयोग कर सके। उर्वरक विभाग के लिए सं.अ. आवंटनों का निर्णय लेते समय इस सिफारिश की एक प्रति इसके अनुपालन के लिए वित्त मंत्रालय को भी भेजी जाए।"

सरकार का उत्तर

1.12 समिति की उपर्युक्त सिफारिशों के उत्तर में रसायन एवम् उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) ने निम्नानुसार बताया है:-

"उर्वरक कंपनियों के सब्सिडी/डीबीटी दावों का निपटान निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन नियमित रूप से किया जा रहा है। स्वदेशी यूरिया के संदर्भ में 6000.00 करोड़ रुपए की अनुमानित अग्रेनीत देनदारियों की तुलना में 2021-22 के लिए वास्तविक अग्रेनीत देनदारियां 1529.37 करोड़ रुपए हैं। संशोधित अनुमान 2021-22 में आवंटित निधियों के उपयोग और स्वदेशी यूरिया के संबंध में अग्रेनीत देयता (2021-22) की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है:

2021-22 की निधियों की स्थिति		अग्रेनीत देयताओं की स्थिति		
अंतिम आबंटन	व्यय	01.04.2022 की स्थिति के अनुसार अग्रेनीत देनदारी	2022-23 के दौरान आज की तारीख तक भुगतान की गई अग्रेनीत देनदारियां	आज की तारीख तक शेष अग्रेनीत देनदारियां
54619.72	54619.72	1529.37	1475.94	53.43

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए (01.04.2022 की स्थिति के अनुसार) स्वदेशी पीएंडके, आयातित पीएंडके और आयातित यूरिया के संबंध में अग्रेनीत देयताएं (सीओएल) निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	स्कीम	1.4.22 की स्थिति के अनुसार सीओएल	टिप्पणी
1	स्वदेशी पीएंडके	237.66 करोड़	आईएफएमएस के नए मालभाड़ा मॉड्यूल में तकनीकी खराबी के कारण 237.66 करोड़ रुपए के डिजिटल मालभाड़ा बिल पास नहीं किए जा सके। ये दावे पहली बार डिजिटल रूप से तैयार किए गए थे।
2	आयातित पीएंडके	2.57 करोड़	अधूरे दस्तावेजों के कारण 2.57 करोड़ रु. के दावों पर कार्रवाई नहीं की जा सकी।

3	आयातित यूरिया	869.50 करोड़	वित्त वर्ष 2021-22 में आवंटित निधि का पूरी तरह उपयोग कर लिया गया।
4	शहरी कम्पोस्ट	0.00	-

1.13 समिति नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के लिए, स्वदेशी यूरिया के लिए 54619.72 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी और पूरी राशि का उपयोग कर लिया गया है, लेकिन अभी भी 01 अप्रैल, 2022 तक 1529.37 करोड़ रुपये की बड़ी राशि लंबित थी। समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के दौरान अब तक अग्रेणीत देनदारियों के लिए 1475.94 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है, लेकिन अभी भी 53.43 करोड़ रुपये की बड़ी राशि का भुगतान किया जाना बाकी है। वर्ष 2021-22 के लिए स्वदेशी पी एंड के, आयातित पी एंड के और आयातित यूरिया के संबंध में 01 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार अग्रेणीत देनदारियां भी संतोषजनक नहीं हैं। 01 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार स्वदेशी पी एंड के की अग्रेणीत देनदारियां जो 237.66 करोड़ रुपये थी, का भुगतान एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के नए फ्रेट मॉड्यूल में तकनीकी गड़बड़ी के कारण नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, आयातित पीएण्डके की अग्रेणीत देनदारियों जो 2.57 करोड़ थीं, का भुगतान अपूर्ण दस्तावेजों के कारण नहीं किया जा सका। अत:, समिति ने सिफारिश की थी कि उर्वरक विभाग को स्वदेशी और आयातित दोनों उर्वरकों के संबंध में सब्सिडी के भुगतान के लिए सं.अ. चरण पर निधियों की आवश्यकताओं का सही अनुमान लगाने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करना चाहिए। तथापि विभाग ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। अत: समिति अपनी पहले की सिफारिशों को दृढ़ता से दोहराती है और आशा करती है कि कोई मजबूत तंत्र लाया जाएगा। इसके अलावा, आईएफएमएस के न्यू फ्रेट मॉड्यूल में तकनीकी गड़बड़ी और अधूरे दस्तावेजों जैसी समस्याओं का शीघ्र निपटान किया जाये और किसी भी स्थिति में ऐसी समस्याओं को अग्रेणीत देनदारियों के भुगतान में बाधा न बनने दिया जाए।

सिफ़ारिश सं. 5

<u>सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी और शीरा से उत्पन्न पोटाश का संवर्धन</u>

1.14 एसएसपी और शीरा से प्राप्त पोटाश के संवर्धन के संबंध में, समिति ने निम्नानुसार सिफारिश की थी:-

"समिति यह जानकर प्रसन्न है कि सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) उर्वरक हमारे देश में 100% स्वदेशी रूप से विनिर्मित है और उर्वरकों के स्वदेशी स्त्रोत को बढ़ावा देने के लिए शीरा (पीडीएम) से उत्पन्न पोटाश को एनबीएस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। उर्वरक विभाग के अनुसार, देश में एसएसपी की 111 विनिर्माण इकाइयां हैं और 2020-21 और 2021-22 के रबी सीजन के दौरान एसएसपी का कुल उत्पादन क्रमशः 23.66 एलएमटी और 21.53 एलएमटी था। किसान डीएपी के एक बैग के स्थान पर 20 किलोग्राम यूरिया के साथ एसएसपी के दो बैग का उपयोग करते हैं। यह भी पता चला है कि पिछले वर्ष राजस्थान सरकार ने आदेश जारी किया था कि डीएपी के स्थान पर एसएसपी के उपयोग को मानक प्रचलन बनाया जाना चाहिए क्योंकि एसएसपी बहुत लागत प्रभावी है और इस प्रकार इसे गरीब आदमी के डीएपी के रूप में जाना जाता है। समिति को यह भी नोट करते हुये प्रसन्नता है कि उर्वरक विभाग अन्य राज्यों में भी इसकी उपलब्धता को सुकर बनाने के लिए माल ढुलाई सब्सिडी योजना में एसएसपी को शामिल करने की योजना बना रहा है। तथापि, एसएसपी उद्योग का उपयोग कुछ राज्यों तक ही सीमित है जहां इसका मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। इसलिए, समिति की यह पुरजोर सिफारिश है कि विभाग सरकारी निजी भागीदारी मोड के माध्यम से भी देश भर में एसएसपी और पीडीएम विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को जोरदार ढंग से बढ़ावा दे ताकि उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो ताकि वे देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। यह संतुलित उर्वरता में भी सहयोग करेगा, कीमती विदेशी मुद्रा को बचाएगा और लंबे समय में एनपीके उर्वरकों के संबंध में हमारी आयात निर्भरता को कम करेगा। एनपीके उर्वरकों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, समिति को आशा है कि उर्वरक विभाग देश में एसएसपी और पीडीएम के संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा और समिति को इस मामले में उसके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में अवगत कराएगा।"

<u>सरकार का उत्तर</u>

1.15 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवम् उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) ने निम्नानुसार बताया है:-

"एसएसपी को मालभाड़ा सब्सिडी योजना और उर्वरक विभाग की उर्वरक संचलन/आपूर्ति में शामिल करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल द्वारा 28.4.22 को मंजूरी दी गई है। इस समावेशन से एसएसपी के निर्माताओं को पूरे देश में एसएसपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उन राज्यों में भी एसएसपी उपलब्ध कराने में सुविधा हो सकती है जहां इसका निर्माण नहीं होता है। उर्वरक विभाग एसएसपी को सतत रूप से बढ़ावा दे रहा है और इसके परिणामस्वरूप आईएफएमएस डेटा से यह देखा गया है कि रबी 2021-22 (अक्टूबर से दिसंबर तक) के दौरान एसएसपी की बिक्री में 56% की वृद्धि हुई है और डीएपी में 21% की कमी आई है। विश्लेषण के अनुसार, भारत के प्रमुख राज्यों जैसे असम, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आदि में एसएसपी की बिक्री में वृद्धि के साथ डीएपी की बिक्री में उतनी ही कमी आई।

शीरे से प्राप्त पोटाश (पीडीएम) एक स्वदेशी उर्वरक है जिसमें 14.5% पोटाश अवयव होता है। इसे उर्वरक विभाग की अधिसूचना संख्या 23011/1/2021-पीएंडके दिनांक 13.10.2021 के माध्यम पोषकतत्व आधारित सब्सिडी प्रणाली में शामिल किया गया है। पीडीएम विनिर्माता कंपनियों को एनबीएस प्रणाली के तहत पंजीकृत करने के दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है और शीघ्र ही जारी किया जाएगा।"

1.16 समिति नोट करती है कि माल ढुलाई सब्सिडी योजना में एसएसपी को शामिल करने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल द्वारा 28 अप्रैल, 2022 को अनुमोदित कर दिया गया है जो एसएसपी के विनिर्माताओं को देश भर में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता कर सकता है। समिति यह भी नोट करती है कि शीरा (पीडीएम) से प्राप्त पोटाश को भी विभाग की दिनांक 13.10.2021 की अधिसूचना के तहत पोषक तत्व आधारित सब्सिडी व्यवस्था में शामिल किया गया है। आईएफएमएस के आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि हालांकि रबी 2021-22 के दौरान एसएसपी की बिक्री में 56% की वृद्धि हुई है और डीएपी में 21% की कमी आई है। तथापि, समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार देश भर में एसएसपी और पीडीएम विनिर्माता इकाइयों की स्थापना के बारे में विभाग के उत्तर में कुछ नहीं कहा गया है। अत: समिति अपनी सिफारिश को दोहराती है और यह इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग को पीपीपी मोड के माध्यम से भी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एसएसपी और पीडीएम विनिर्माता इकाइयों की स्थापना करने को दृढ़ता से बढ़ावा देना चाहिए।

सिफ़ारिश सं. 6

यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने की आवश्यकता

1.17 यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने की आवश्यकता के संबंध में, समिति ने निम्नानुसार सिफारिश की थी:-

"समिति ने नोट किया है कि सतत कृषि विकास के लिए यह आवश्यक है कि किसानों को यूरिया वहनीय मूल्यों पर उपलब्ध कराया जाए और इसलिए यूरिया को किसानों को सांविधिक रूप से अधिसूचित एकसमान अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचा जा रहा है। फार्मगेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार वसूली के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया विनिर्माता/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। उर्वरक विभाग ने 2 अगस्त, 2021 को व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के मूल्यांकन के लिए 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल की अवधि के लिए यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने का प्रस्ताव दिया है। तथापि, ईएफसी ने सिफारिश की है कि वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार यूरिया सहायता योजना को 31-03-2022 तक एक वर्ष के लिए जारी रखा जाए। ईएफसी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की है कि इसकी भी जांच की जाए कि क्या यूरिया को पोषकतत्व आधारित सब्सिडी योजना के अंतर्गत लाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि यूरिया सब्सिडी नीति के साथ-साथ पोषकतत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति के अंतर्गत नाइट्रोजन सब्सिडी समान हो। तथापि, यूरिया सब्सिडी पर किए गए ''तीसरे पक्ष के मूल्यांकन'' की सिफारिश है कि यूरिया उद्योगों, किसानों और कृषि क्षेत्र की सहायता के लिए यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने की आवश्यकता है क्योंकि इसका फसल उपज बढ़ाने और खेती के लिए किसानों के व्यय को कम करने में कृषि क्षेत्र पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। समिति का मानना है कि यूरिया देश में एक बहुत ही संवेदनशील उर्वरक है क्योंकि इसका उपयोग अधिकांश किसानों द्वारा किया जाता है और इससे देश में हरित क्रांति हुई है। इसके अतिरिक्त, यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य सरकार द्वारा सांविधिक रूप से निर्धारित किया जाता है जबकि एनबीएस स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए पीएण्डके उर्वरकों का बाजार मूल्य मांग/आपूर्ति संतुलन के आधार पर बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि उर्वरक विभाग इस संबंध में किसी सुविचारित निर्णय पर पहुंचने से पहले यूरिया को एनबीएस योजना के अंतर्गत लाने की व्यवहार्यता, यह किसानों के हितों को किस हद तक प्रभावित करेगा, कृषि उत्पादन पर इसके प्रभाव आदि पर किसानों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करे। इसलिए, वित्त मंत्रालय और

ईएफसी से अनुरोध किया जाए कि वे वर्तमान यूरिया सब्सिडी योजना को 31 मार्च, 2022 से आगे बढ़ाएं, जैसा कि तीसरे पक्ष की मूल्यांकन प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है। इस सिफारिश को वित्त मंत्रालय के समक्ष विचारार्थ साझा भी किया जाए। इस मामले में हुई प्रगति के बारे में समिति को सूचित किया जाए।"

सरकार का उत्तर

1.18 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवम् उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) ने निम्नानुसार बताया है:-

"समिति की सिफारिश दिनांक 27 अप्रैल, 2022 के कार्यालय ज्ञापन के जरिये वित्त मंत्रालय को भेज दी गई है। इसके अतिरिक्त, उर्वरक विभाग यूरिया सब्सिडी स्कीम को 31.03.2025 तक जारी रखने हेतु एक नया ईएफसी प्रस्ताव तैयार कर रहा है।"

1.19 समिति यह नोट करती है कि तृतीय पक्ष की मूल्यांकन प्रतिवेदन में की गई सिफारिश के अनुसार वर्तमान यूरिया सब्सिडी योजना को 31 मार्च 2022 से आगे बढ़ाने के लिए इस समिति की सिफारिश को अप्रैल, 2022 में वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है और विभाग यूरिया सब्सिडी योजना को 31.03.2025 तक जारी रखने के लिए एक नया व्यय वित्त समिति (ईएफसी) प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया में है। समिति चाहती है कि विभाग 31 मार्च, 2022 के बाद वर्तमान यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने के लिए इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उच्चतम स्तर पर उठाए। यूरिया सब्सिडी योजना को 31.03.2025 तक जारी रखने के लिए एक नया ईएफसी प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया में भी तेजी लाए।

अध्याय – दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफ़ारिश सं.4

<u>उर्वरकों आदि के आयात के स्रोतों के विविधकरण की आवश्यकता</u>

2.1 उर्वरकों आदि के आयात के स्त्रोतों के विविधीकरण की आवश्यकता के संबंध में, समिति ने निम्नानुसार सिफारिश की थी:-

समिति ने यह नोट करते हुए चिंता व्यक्त की है कि पिछले दो वित्तीय वर्षों में स्वदेश में विनिर्मित उर्वरकों के लिए सब्सिडी में कमी आई है और आयातित उर्वरकों के लिए सब्सिडी का हिस्सा बढ़ा है। उर्वरक विभाग के अनुसार, देश हमारे देश में कच्चे माल की अनुपलब्धता/कमी के कारण तैयार उर्वरकों या उनके कच्चे माल के रूप में 90% तक फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों और 100% तक पोटाशयुक्त उर्वरकों के आयात पर निर्भर है। समिति को यह भी बताया गया कि प्रतिवर्ष लगभग 25-30% यूरिया का आयात किया जाता है। चूंकि पीएण्डके उर्वरक एनबीएस स्कीम के तहत नियंत्रणमुक्त रखा गया है, इसलिए सभी पीएण्डके उर्वरकों को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) व्यवस्था के तहत आते हैं और कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य शर्तों पर इनका आयात किया जाता है। समिति ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि पिछले डेढ़ वर्षों के दौरान भू-राजनीतिक स्थितियों आदि के कारण उर्वरकों के साथ-साथ कच्चे माल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे कच्चे माल के साथ-साथ एनपीके उर्वरकों, विशेषरूप से डीएपी का आयात करना बहुत महंगा हो गया है। इस प्रकार, इससे आपूर्ति की समान मात्रा को बनाए रखने के लिए सब्सिडी पर अत्यधिक व्यय आता है। समिति को यह भी ज्ञात हुआ कि पिछले साल यूरिया का मूल्य जनवरी, 2021 में 300 डॉलर प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर दिसम्बर, 2021 में लगभग 1,000 डॉलर प्रति मीट्रिक टन हो गया है। यह स्थिति चालू वर्ष में भी जारी रह सकती है जिससे अनुपूरक मांगों के समय विभाग को और अधिक निधियों के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क करने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति सरकार के सब्सिडी बजट में लगातार वृद्धि कर सकती है, अत: समिति स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित सिफारिश करती है:-

(i) उर्वरकों और कच्चे माल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार-चढ़ाव के प्रभावों को कम करने के लिए, विभिन्न उर्वरकों और इसके कच्चे माल की उचित कीमतों पर नियमित आपूर्ति प्राप्त करने के लिए विदेशों

में संयुक्त उद्यमों के लिए हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य कंपनियों द्वारा दीर्घकालिक समझौतों पर हस्ताक्षर करके विभाग आयात स्रोतों में विविधता लाने के लिए परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण से विदेश मंत्रालय और अन्य संबंधितों के साथ समन्वय में सक्रिय कदम उठाए।

(ii) चूंकि पीएण्डके उर्वरकों को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया जाता है और कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य शर्तों पर इनका आयात किया जाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की निरंतर निगरानी करने और विभिन्न उर्वरकों के पर्याप्त बफर स्टॉक को बनाए रखने के लिए तक तंत्र तैयार किया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अचानक मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रभावों से निपटा जा सके।

(iii) उर्वरक विभाग खान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ हमारे देश में ही डीएपी और अन्य उर्वरकों के लिए कच्चे माल के लिए खनिजों की खोज पर विचार-विमर्श में तेजी लाए और शीघ्रातिशीघ्र अन्वेषण प्रक्रिया शुरू करे ताकि हमारे देश में ही इन खनिजों की उपलब्धता के मामले में अन्य देशों पर निर्भरता को कम किया जा सके।

समिति की उपर्युक्त सिफारिशों को वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, खान मंत्रालय और संबंधित अन्य को अनुपालन के लिए सूचित किया जाए। समिति को इस मामले में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

2.2 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवम् उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) ने निम्नानुसार बताया है:-

(i) कनाडा, रूस, सऊदी अरब, मोरक्को, जॉर्डन आदि जैसे विभिन्न देशों से भारत को उचित मूल्य पर कच्चे माल/तैयार उर्वरकों की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक विभाग विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय में अनेक प्रयास कर रहा है।

(ii) उर्वरक विभाग (डीओएफ) ने एक आईटी सक्षम प्रणाली नामत: एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) विकसित की है, जो उर्वरक के संबंध में उत्पादन, संचलन, उपलब्धता, आवश्यकता, बिक्री, उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी भुगतान के संबंध में सब्सिडी बिल तैयार करने के मामले में आरंभ से

अंत तक का विवरण दर्ज करती है। आईएफएमएस प्रणाली पर http://mfms.nic.in/ से पहुंचा जा सकता है। उर्वरक विभाग, राज्य कृषि विभाग, जिला कलेक्टर, उर्वरक कंपनियों जैसे संबंधित हितधारकों को संचलन और निगरानी उद्देश्यों के लिए अलग-अलग उपयोगकर्ता पासवर्ड प्रदान किए जाते हैं। आईएफएमएस पोर्टल की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

- संयंत्र/पोर्ट-रेक पॉइंट-जिला-थोक विक्रेता-खुदरा विक्रेता श्रृंखला के साथ-साथ उर्वरक संचलन की वास्तविक समय पर, ऑनलाइन ट्रैकिंग।
- राज्य, जिला, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता स्तर पर उर्वरक उपलब्धता के वास्तविक समय के आंकड़े।
- पीओएस उपकरणों के माध्यम से किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर उर्वरकों की बिक्री की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग।
- आयात/उत्पादन से लेकर किसानों को बिक्री तक उर्वरकों के संपूर्ण लेन-देन की पारदर्शिता।

साथ ही, उर्वरक विभाग द्वारा उर्वरक विभाग और राज्यों से संबंधित विभिन्न विस्तृत रिपोर्टों के लिए डैशबोर्ड की शुरुआत करके एक नई पहल की गई है। इस डैशबोर्ड के माध्यम से उर्वरक विभाग थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के पास सभी उर्वरकों के स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है। कलेक्टर डैशबोर्ड, कंपनी डैशबोर्ड और मार्कफेड डैशबोर्ड भी है। इसके अलावा, उर्वरक विभाग अपने अधिदेश के अनुसार, सहज उपलब्धता के स्तर को पहले से सुनिश्चित करता है ताकि ऐसे परिदृश्यों के लिए तैयारी रखी जा सके जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकते हैं। विशेष रूप से खपत की कम अवधि में आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न बिंदुओं पर समय से पहले स्टॉक रखने के लिए आवश्यकता से अधिक आबंटन देकर वास्तविक खपत से काफी पहले उर्वरकों को उपलब्ध कराया जाता है।

उदाहरण के लिए, पिछले 5 वित्तीय वर्षों (01.04.2018 से 01.04.2022) के दौरान यूरिया का औसत शुरुआती स्टॉक 56.6 एलएमटी रहा है जबकि इसी अवधि के लिए यूरिया की औसत आवश्यकता 340 एलएमटी रही है। यह देखा गया है कि वित्तीय वर्ष अतिरिक्त स्टॉक (उर्वरक विभाग द्वारा आपूर्ति और राज्यों के पास उपलब्ध) के साथ शुरू हुआ है, जो कुल वार्षिक आवश्यकता का लगभग 17 प्रतिशत रहा है। इसी प्रकार, पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान डीएपी, एमओपी और एनपीके के संबंध में, वित्तीय वर्ष अतिरिक्त स्टॉक के साथ शुरू हुआ है जो कुल वार्षिक आवश्यकता का लगभग 25 प्रतिशत, 23 प्रतिशत

और 29 प्रतिशत रहा है। तथापि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव/वृद्धि के प्रभाव को खत्म करने के लिए बफर स्टॉक के संबंध में कोई विशेष नीति नहीं है।

(iii) उर्वरक विभाग भारत में फॉस्फेट और पोटाश जैसे कच्चे माल की उनके उपलब्ध स्रोतों से खोज के लिए खान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और मेसर्स मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के साथ चर्चा कर रहा है। उर्वरक विभाग ने फॉस्फेट और पोटाश के खनिज ब्लॉकों के आवंटन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों और खान मंत्रालय के साथ बैठकें भी आयोजित की हैं। उर्वरक विभाग के तहत एक पीएसयू मेसर्स फैगमिल भी इन खनिजों की खोज और खनन पर काम कर रहा है।

सिफ़ारिश सं.6

<u>यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने की आवश्यकता</u>

2.3 यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने की आवश्यकता के संबंध में, समिति ने निम्नानुसार सिफारिश की थी:-

2 अगस्त, 2021 को व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के मूल्यांकन के लिए 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल की अवधि के लिए यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने के संबंध में उर्वरक विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए; समिति ने निम्नानुसार सिफारिश की:

"समिति ने नोट किया है कि सतत कृषि विकास के लिए यह आवश्यक है कि किसानों को यूरिया वहनीय मूल्यों पर उपलब्ध कराया जाए और इसलिए यूरिया को किसानों को सांविधिक रूप से अधिसूचित एकसमान अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचा जा रहा है। फार्मगेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार वसूली के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया विनिर्माता/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। उर्वरक विभाग ने 2 अगस्त, 2021 को व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के मूल्यांकन के लिए 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल की अवधि के लिए यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने का प्रस्ताव दिया है। तथापि, ईएफसी ने सिफारिश की है कि वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार यूरिया सहायता योजना को 31-03-2022 तक एक वर्ष के लिए जारी रखा जाए। ईएफसी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की है कि इसकी भी जांच की जाए कि क्या यूरिया को पोषकतत्व आधारित

सब्सिडी योजना के अंतर्गत लाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि यूरिया सब्सिडी नीति के साथ-साथ पोषकतत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति के अंतर्गत नाइट्रोजन सब्सिडी समान हो। तथापि, यूरिया सब्सिडी पर किए गए ''तीसरे पक्ष के मूल्यांकन'' की सिफारिश है कि यूरिया उद्योगों, किसानों और कृषि क्षेत्र की सहायता के लिए यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने की आवश्यकता है क्योंकि इसका फसल उपज बढ़ाने और खेती के लिए किसानों के व्यय को कम करने में कृषि क्षेत्र पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। समिति का मानना है कि यूरिया देश में एक बहुत ही संवेदनशील उर्वरक है क्योंकि इसका उपयोग अधिकांश किसानों द्वारा किया जाता है और इससे देश में हरित क्रांति हुई है। इसके अतिरिक्त, यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य सरकार द्वारा सांविधिक रूप से निर्धारित किया जाता है जबकि एनबीएस स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए पीएण्डके उर्वरकों का बाजार मूल्य मांग/आपूर्ति संतुलन के आधार पर बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि उर्वरक विभाग इस संबंध में किसी सुविचारित निर्णय पर पहुंचने से पहले यूरिया को एनबीएस योजना के अंतर्गत लाने की व्यवहार्यता, यह किसानों के हितों को किस हद तक प्रभावित करेगा, कृषि उत्पादन पर इसके प्रभाव आदि पर किसानों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करे। इसलिए, वित्त मंत्रालय और ईएफसी से अनुरोध किया जाए कि वे वर्तमान यूरिया सब्सिडी योजना को 31 मार्च, 2022 से आगे बढ़ाएं, जैसा कि तीसरे पक्ष की मूल्यांकन प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है। इस सिफारिश को वित्त मंत्रालय के समक्ष विचारार्थ साझा भी किया जाए। इस मामले में हुई प्रगति के बारे में समिति को सूचित किया जाए।"

<u>सरकार का उत्तर</u>

2.4 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवम् उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) ने निम्नानुसार बताया है:-

"समिति की सिफारिश दिनांक 27 अप्रैल, 2022 के कार्यालय ज्ञापन के जरिये वित्त मंत्रालय को भेज दी गई है। इसके अतिरिक्त, उर्वरक विभाग यूरिया सब्सिडी स्कीम को 31.03.2025 तक जारी रखने हेतु एक नया ईएफसी प्रस्ताव तैयार कर रहा है।"

सिफ़ारिश सं. 7

<u>उर्वरक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आरएण्डडी) गतिविधियां</u>

2.5 उर्वरक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) गतिविधियों के संबंध में, समिति ने निम्नानुसार सिफारिश की थी:-

समिति ने नोट किया कि वित्त मंत्रालय ने 20वें प्रतिवेदन (अनुदानों की मांगें 2021-22) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर उर्वरक विभाग के लिए अनुसंधान और विकास के लिए अलग शीर्ष खोला/पुनर्जीवित किया। इस मद में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए टोकन अनुपूरक लेकर 10 लाख रुपये का बजट उपलब्ध कराया गया था। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 10 लाख रुपये का आबंटन शीर्ष के तहत किया गया है। हालांकि, समिति इस बात से व्यथित है कि जब समिति को जानकारी दी गई थी तब नैनो यूरिया में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपये की सहायता अनुदान (2021-22) का उपयोग शून्य था। विभाग ने उच्च दक्षता वाले पर्यावरण-अनुकूल उर्वरक उत्पादों के विकास के लिए उर्वरक क्षेत्र में कोई अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप भी नहीं किए हैं। उर्वरक विभाग के अनुसार, उर्वरक और उर्वरक विनिर्माण प्रौद्योगिकी, कच्चे माल के उपयोग और उर्वरक उत्पादों में नवाचार के क्षेत्र में अनुसंधान करने के उद्देश्य से उर्वरक विभाग के अंतर्गत उर्वरक सीपीएसई द्वारा भारतीय उर्वरक एवं उर्वरक पोषक तत्व अनुसंधान परिषद (आईसीएफएफटीआर) का गठन किया गया है। यह भी पता चला है कि आईसीएफएफटीआर को वित्तपोषण के लिए कोई नया अनुसंधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तदनुसार, आईसीएफएफटीआर द्वारा उर्वरक विभाग के समक्ष निधियों की कोई मांग नहीं उठाई गई है। इसलिए कोई नए अनुमान नहीं लगाए गए थे। इसके अतिरिक्त, यदि वित्तपोषण के लिए कोई नया अनुसंधान प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो विभाग द्वारा अनुदान की अनुपूरक मांग में नई मांगें की जाएंगी। समिति उर्वरक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए विभाग की आधी-अधूरी पहलों से संतुष्ट नहीं है और यह महसूस करती है कि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उर्वरक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। इसलिए, समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है कि

(v) उर्वरकों और उर्वरक विनिर्माण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास तथा उर्वरक उत्पादों में नवाचार को इसके लिए उपयुक्त बजटीय आबंटन के समर्थन के साथ पूरे मन में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(vi) उर्वरक प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास को नैनो उर्वरकों (यूरिया/पीएंडके/सूक्ष्म पोषक तत्व), जैव उर्वरकों, जैविक उर्वरकों, कम्पोस्ट, जैव उत्तेजकों आदि की स्वदेशी किस्मों को शामिल करने के लिए उत्पाद बास्केट में विविधता लाकर और अधिक कुशल उर्वरकों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिन्हें उर्वरक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच साझा किया जाए।

(vii) विभाग सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के साथ सामान्य अनुसंधान परियोजनाओं (प्रत्येक वर्ष 4-5) की पहचान करे और नए अभिनव कुशल उर्वरकों के विकास के लिए उपयुक्त बजटीय सहायता के साथ केंद्रित और एकीकृत प्रयास करे और इसके लिए पेटेंट प्राप्त करे जो दीर्घावधि में देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने और उर्वरकों का शुद्ध निर्यातक बनने में मदद करेगा।

(viii) आईसीएफएफटीआर को विशेष रूप से अभिनव उर्वरक उत्पादों के विकास और उर्वरक विनिर्माण संयंत्रों में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उर्वरक क्षेत्र में संवर्धन और अनुसंधान के लिए समर्पित राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान के रूप में बढ़ावा दिया जाए।

सरकार का उत्तर

2.6 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवम् उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) ने निम्नानुसार बताया है:-

(i) उर्वरक विभाग ने उर्वरक क्षेत्र में नवोन्मेष के लिए सिफारिश को नोट कर लिया है। उर्वरकों के नवोन्मेष के लिए उपयुक्त बजटीय आबंटन पर जब भी आवश्यकता होगी, विचार किया जाएगा।

(ii) नैनो यूरिया को दुनिया में पहली बार इफको-नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर (एनबीआरसी) कलोल, गुजरात में एक मालिकाना पेटेंट तकनीक के माध्यम से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। नैनो यूरिया का परीक्षण 22 आईसीएआर संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा 43 स्थानों पर 13 प्रमुख फसलों पर किया गया है। इसके अलावा आईसीएआर और केवीके के पर्यवेक्षण में पिछले तीन कृषि मौसमों में 94 फसलों पर किसानों के खेतों पर 11000 परीक्षण किये गये हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 24 फरवरी, 2021 की अधिसूचना के द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) के तहत नैनो यूरिया (तरल) को नैनो उर्वरक के रूप में अनंतिम रूप से अधिसूचित किया है।

इसके अलावा, इफको ने सूचित किया है कि नैनो डीएपी, नैनो जिंक, नैनो कॉपर जैसे नैनो उर्वरकों के लिए भी अनुसंधान और विकास के प्रयास शुरू किए गए हैं। इन नैनो उर्वरकों के विनिर्माण के साथ-साथ राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) के तहत किए गए प्रयोगों के माध्यम से उनकी प्रभावकारिता स्थापित करने के लिए निरंतर अनुसंधान और विकास के प्रयास किए गए हैं। उनकी रिपोर्टें उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) में शामिल करने के लिए डीएएण्डएफडब्ल्यू को प्रस्तुत कर दी गई हैं।

(iii) 8 नैनो यूरिया संयंत्रों और 5 पुनरुद्धार यूरिया इकाइयों की शुरूआत के साथ, यह अनुमान है कि उर्वरक विभाग 2025 के अंत तक यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा और कोई आयात निर्भरता नहीं होगी। पारंपरिक यूरिया और नैनो यूरिया का घरेलू उत्पादन मांग से अधिक होगा।

(iv) यह बताया जाता है कि स्थायी समिति द्वारा दिए गए निर्देश कि ''आईसीएफएफटीआर को एक समर्पित राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है जो विशेष रूप से उर्वरक विनिर्माता संयंत्रों में नवीन उर्वरक उत्पादों के विकास और ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उर्वरक क्षेत्र में प्रोत्साहन और अनुसंधान के लिए समर्पित है'' को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।"

सिफ़ारिश सं. 8

<u>बाजार विकास सहायता प्रदान करने के लिए नई योजना तैयार करने की आवश्यकता</u>

2.7 बाजार विकास प्रदान करने के लिए एक नई योजना तैयार करने की आवश्यकता के संबंध में, समिति ने निम्नानुसार सिफारिश की थी:--

"समिति ने नोट किया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2016 में सिटी कम्पोस्ट को बढ़ावा देने की योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता दी जा रही थी, वह 30 सितंबर, 2021 के बाद व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की सिफारिशों के अनुसार बंद कर दी गई है। समिति को अवगत कराया गया कि ईएफसी ने 2021-22 से 2025-26 के दौरान योजना को जारी रखने के संबंध में अपनी समीक्षा में कहा कि यह एक बहुत छोटी योजना है और चूंकि बड़े बजट और बेहतर क्षेत्र की उपस्थिति के साथ अन्य विभागों में भी इसी तरह की योजनाएं हैं, इसलिए सिटी कम्पोस्ट योजना को बढ़ावा देना बंद कर दिया जाना चाहिए। तथापि, समिति चाहती है कि पारिस्थितिकी के अनुकूल प्राकृतिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्मित जैविक और जैव उर्वरकों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सहायता के दायरे को बढ़ाकर एक नई योजना शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) के अंतर्गत भी शामिल हैं। समिति का मानना है कि एमएसएमई और बड़ी उर्वरक कंपनियां दोनों इसमें शामिल हों और जैविक और जैव उर्वरकों का विनिर्माण और विपणन एग्रीगेटर मॉडल पर आधारित हो जिसमें बड़ी कंपनियां एग्रीगेटर के रूप में

कार्य करती हैं और वे इन उत्पादों को एमएसएमई से लेती हैं। बाजार विकास सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्ट उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया जाए। इससे दीर्घावधि में पारिस्थितिकी के अनुकूल उर्वरक किसानों को सस्ती दरों पर स्थानीय रूप से आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे और यह मृदा और पर्यावरण के लिए पारिस्थितिकी के अनुकूल भी होगा। अत:, समिति पुरजोर सिफा ारिश करती है कि उर्वरक विभाग एफसीओ के अंतर्गत शामिल जैविक और जैव उर्वरकों के उत्पादन और उपयोग के लिए बाजार विकास सहायता प्रदान करने की व्यापक गुंजाइश के साथ समयबद्ध तरीके से एक नई योजना का प्रारूप तैयार करे और इसे व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के लिए रखे और निकट भविष्य में इसके लिए पर्याप्त बजट की मांग करे। इस सिफारिश को इसके अनुपालन के लिए वित्त मंत्रालय के साथ भी साझा किया जाए"।

सरकार का उत्तर

2.8 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवम् उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) ने निम्नानुसार बताया है:-

"बाजार विकास सहायता (एमडीए) देकर आर्गेनिक और जैव-उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए, अवधारणा नोट और ईएफसी प्रस्ताव नीति आयोग सहित हितधारक मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किये गये हैं। व्यय विभाग से आर्गेनिक एवं जैव-उर्वरक को बढ़ावा देने की स्कीम के अवधारणा नोट पर व्यय विभाग की सैद्धांतिक स्वीकृति (आईपीए) मांगी गई है। जैविक और आर्गेनिक उर्वरकों को बढ़ावा देने की स्कीम के अवधारणा नोट पर जल संसाधन और स्वच्छता विभाग (डीडब्ल्यूएस), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आईसीएआर, नीति आयोग और व्यय विभाग की टिप्पणियों पर कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू) से व्यय विभाग से टिप्पणियां मांगी गई है।"

सिफ़ारिश सं. 9

किसानों को समय पर उर्वरकों की उपलब्धता और अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकने की आवश्यकता

2.9 किसानों को समय पर उर्वरकों की उपलब्धता की आवश्यकता और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के संबंध में समिति ने निम्नानुसार सिफारिश की थी:-

"समिति यह नोट करके चिंतित है कि उर्वरक सब्सिडी पर 1.2 लाख करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के बावजूद ग्रामीण स्तर पर किसानों को व्यस्ततम कृषि मौसमों के दौरान आवश्यक मात्रा में उर्वरक प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी खबर हैं कि खुदरा विक्रेता किसानों से सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ-साथ किसी कंपनी विशेष द्वारा निर्मित अन्य उत्पादों को खरीदने के लिए कहते हैं। समिति ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की है कि एक तरफ विभाग यह दावा कर रहा है कि उर्वरकों की कोई कमी नहीं है जबकि दूसरी ओर किसानों को उर्वरकों की अनुपलब्धता के संबंध में खबरें आ रही हैं। ऐसी भी खबरें है कि स्थानीय स्तर पर गलत प्रबंधन के कारण यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। समिति चाहती है कि यद्यपि स्थानीय स्तरों पर उर्वरकों का वितरण राज्य सरकारों का विशेषाधिकार है, फिर भी विभाग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खुदरा नेटवर्क प्रणाली के कार्यकरण को सुव्यवस्थित, सुदृढ़ और बेहतर बनाने के लिए ईमानदार प्रयास किए जाने चाहिए ताकि कालाबाजारी, जमाखोरी, कृत्रिम कमी के खतरे को रोका जा सके और उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि:-

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया जाएगा कि वे किसानों को विशेषरूप से फसलों की खेती के व्यस्ततम मौसम के दौरान उर्वरकों की अपेक्षित मात्रा की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएं और किसी भी किसान को सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों से वंचित नहीं किया जाए।

(ii) कालाबाजारी, जमाखोरी, कृत्रिम कमी आदि के खतरे को रोकने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सटीक उपाय किए जाएं।

(iii) विभाग को सभी संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय करके उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 के तहत शक्ति-प्राप्त कंपनी, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता स्तर पर सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की बिक्री की नियमित लेखापरीक्षा के लिए रूपरेखा तैयार करे ताकि विभिन्न स्तरों पर अनुचित व्यवहार, यदि कोई हो, को रोका जा सके। यदि लेखा परीक्षा के दौरान कोई अनाचार पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए जिससे दीर्घावधि में कृषि क्षेत्र लाभान्वित होगा।

(iv) विभाग को देश भर में खुदरा/थोक दुकानों पर पीओएस उपकरणों की तत्काल स्थापना सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि उर्वरकों की बिक्री को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से या केसीसी के माध्यम से अनिवार्य बनाया जा सके और मतदाता पहचान पत्र स्वीकार्य हो सके। किसी भी चोरी को रोकने और

प्रत्येक स्तर पर स्टॉक और उपलब्धता की निगरानी करने के लिए आईएफएमएस डैश-बोर्ड प्रणाली को और मजबूत किया जाए।

इस समिति द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को उनके अनुपालन के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विभागों/एजेंसियों को सूचित किया जाए। समिति इस मामले में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।"

<u>सरकार का उत्तर</u>

2.10 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवम् उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) ने निम्नानुसार बताया है:-

(i) समिति की इच्छानुसार सभी राज्यों को समिति की अनुशंसाओं से अवगत कराते हुए पत्र जारी कर दिया गया है।

(ii) कालाबाजारी और जमाखोरी से बचने के लिए, राज्य सरकारों को आवश्यक कदम उठाने के लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 के तहत पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। उर्वरक विभाग नियमित रूप से राज्य सरकारों को आवश्यक कदम उठाने की सलाह देता है ताकि किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके और कालाबाजारी एवं जमाखोरी जैसे कदाचार पर सख्त रोक लगाई जा सके।

समिति की सिफारिश के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से फिर से अनुरोध किया जाएगा कि वे इस संकट की जांच के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

(iii) उर्वरक विभाग (डीओएफ) ने एक आईटी सक्षम प्रणाली नामत: एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) विकसित की है, जो उर्वरक के संबंध में उत्पादन, संचलन, उपलब्धता, आवश्यकता, बिक्री, उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी भुगतान के संबंध में सब्सिडी बिल तैयार करने के मामले में आरंभ से अंत तक का विवरण दर्ज करती है। आईएफएमएस प्रणाली पर http://mfms.nic.in/ से पहुंचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उर्वरक विभाग और राज्यों से संबंधित विभिन्न विस्तृत रिपोर्टों के लिए डैशबोर्ड की शुरूआत के साथ उर्वरक विभाग द्वारा एक नई पहल की गई है। इस डैशबोर्ड के माध्यम से उर्वरक विभाग थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के पास सभी उर्वरकों के स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है। कलेक्टर डैशबोर्ड, कंपनी डैशबोर्ड और मार्कफेड डैशबोर्ड भी है।

इसके अलावा, कालाबाजारी और जमाखोरी से बचने के लिए, राज्य सरकारों को आवश्यक कदम उठाने के लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 के तहत पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। उर्वरक विभाग नियमित रूप से राज्य सरकारों को आवश्यक कदम उठाने की सलाह देता है ताकि किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके और कालाबाजारी एवं जमाखोरी जैसे कदाचार पर सख्त रोक लगाई जा सके।

(iv) उर्वरक डीबीटी प्रणाली के तहत प्रत्येक खुदरा दुकान पर स्थापित प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरणों के माध्यम से किसानों/खरीदारों को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक कंपनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेड पर 100% सब्सिडी जारी की जाती है। सभी लाभार्थियों की पहचान आधार कार्ड के माध्यम से की जाती है (केवल असम और जम्मू-कश्मीर के मामले में अधिप्रमाणन केसीसी/वोटर आईडी के माध्यम से किया जाता है) ।

आईएफएमएस डैशबोर्ड प्रणाली को आवधिक रूप से मजबूत किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की चोरी को रोका जा सके और प्रत्येक स्तर पर स्टॉक और उपलब्धता की निगरानी की जा सके।".

सिफ़ारिश सं. 10

<u>उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को मजबूत करने की आवश्यकता</u>

2.11 उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता के संबंध में समिति ने निम्नानुसार सिफारिश की थी:-

"समिति इस बात से चिंतित है कि फसल और मिट्टी के प्रकार के अनुसार उर्वरकों के उचित और संतुलित उपयोग के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए पहल पर्याप्त नहीं है। उर्वरक विभाग के अनुसार, यूरिया देश में एक बहुत ही संवेदनशील उर्वरक है और किसानों को 'मना नहीं करना' के आधार पर 266.5 रुपये प्रति 45 किलोग्राम प्रति बैग की रियायती दर पर प्रदान किया जा रहा है। किसान कुछ उर्वरकों विशेषकर यूरिया का आवश्यकता से अधिक उपयोग करते हैं और इससे उर्वरकों का असंतुलित उपयोग होता है जो दीर्घावधि में मृदा स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अत: मृदा स्वास्थ्य कार्डों में दिए गए परामर्श के अनुसार उर्वरकों के विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग के बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। समिति विभाग द्वारा की इस बात से आश्वस्त नहीं है कि यह एक धारणा है कि यदि कोई मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करता है, तो उर्वरक की खपत कम हो जाएगी। चूंकि

रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग के परिणामस्वरूप मृदा स्वास्थ्य में गिरावट आती है और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है, इसलिए समिति निम्नलिखित की दृढ़ता से सिफारिश करती है:-

(i) कृषि मंत्रालय, राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है ताकि यह लक्ष्योन्मुखी तरीके से उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने और प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न रासायनिक उर्वरकों के प्रतिशत उपयोग की नियमित रूप से निगरानी करने में प्रभावी रूप से मदद कर सके।

(ii) देश के प्रत्येक क्षेत्र की मृदा जांच और मृदा मानचित्रण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए:

(iii) इस बात की जांच की जाए कि क्या उर्वरकों की बिक्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार की जा सकती है ताकि मृदा विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार उर्वरकों का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

(iv) उर्वरक विभाग सभी संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों/उर्वरक कंपनियों/अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करके उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लाभों के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए मासिक लक्ष्योन्मुखी कार्यक्रम तैयार करे।

इस सिफारिश को सभी संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों/अन्य संबंधित एजेंसियों को उनके द्वारा अनुपालन के लिए सूचित किया जाए। समिति को इस मामले में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।"

सरकार का उत्तर

2.10 "समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवम् उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) ने निम्नानुसार बताया है:-

(i) डीएएण्डएफडब्ल्यू से संबंधित है क्योंकि यह मामला मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने और देश के प्रत्येक क्षेत्र के मृदा परीक्षण और मैपिंग से संबंधित है।

(ii) डीएएण्डएफडब्ल्यू से संबंधित है क्योंकि यह मामला मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने और देश के प्रत्येक क्षेत्र के मृदा परीक्षण और मैपिंग से संबंधित है।

(iii) डीएएण्डएफडब्ल्यू से संबंधित है क्योंकि यह मामला मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने और देश के प्रत्येक क्षेत्र के मृदा परीक्षण और मैपिंग से संबंधित है।

(iv) उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लाभों के बारे में किसानों को जानकारी प्रदान करने हेतु मासिक लक्ष्योन्मुखी कार्यक्रम के लिए मंत्रालयों/राज्य सरकार/उर्वरक कंपनियों के साथ समन्वय की सिफारिश को विभाग द्वारा आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए नोट कर लिया गया है।"

सिफ़ारिश सं.11

<u>नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देने की आवश्यकता</u>

2.12 नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देने की आवश्यकता के संबंध में, समिति ने निम्नानुसार सिफारिश की थी:-

"समिति ने उर्वरक विभाग की इस बात पर ध्यान दिया है कि इफको ने स्वदेशी रूप से नैनो यूरिया विकसित किया है जो अगली पीढ़ी का स्मार्ट कुशल उर्वरक है जो इनपुट लागत को कम करने के अलावा पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सुरक्षित और लाभकारी है। इफको नैनो डीएपी, नैनो जिंक और नैनो बोरान जैसे नैनो उर्वरकों के अन्य संस्करणों को भी विकसित करने की प्रक्रिया में है जो विकास और क्षेत्र परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। उर्वरक विभाग के अनुसार, ये आत्मनिर्भर भारत के बेहतरीन उदाहरण हैं क्योंकि इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि आयात निर्भरता भी कम होगी और इसे परिवहन करना बहुत आसान है। गुजरात के कलोल में इफको के नैनो यूरिया संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन 1 अगस्त, 2021 को शुरू किया गया था और समिति को यह जानकारी दिए जाने के समय 2.40 करोड़ नैनो

यूरिया बोतलों का निर्माण किया गया था। यह भी ध्यान दिया गया है कि प्रभावकारिता के संदर्भ में नैनो यूरिया की 1 बोतल 45 किलोग्राम यूरिया बैग के बराबर है। नैनो यूरिया की बोतल की कीमत 240 रुपये प्रति 500 एमएल बोतल है जबकि पारंपरिक सब्सिडी वाले यूरिया की कीमत 266.5 रुपये प्रति 45 किलोग्राम बैग है। चूंकि नैनो उर्वरक पारंपरिक सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की तुलना में सस्ते होते हैं, इसलिए नैनो उर्वरकों के उत्पादन के लिए सरकार से किसी सब्सिडी की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा कि शोधों से पता चला है कि औसत फसल उत्पादकता वृद्धि लगभग आठ प्रतिशत है, यह किसानों को 5,000-10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की बचत करती है। इसके अलावा, नैनो उर्वरक की प्रभावकारिता 80 प्रतिशत से अधिक है, जबकि पारंपरिक यूरिया की प्रभावकारिता केवल 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत है। नैनो यूरिया में पारंपरिक यूरिया को 50 प्रतिशत तक प्रतिस्थापित करने की क्षमता है। इफको और अधिक संयंत्रों को स्थापित करने की प्रकिया में है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी को सरकारी क्षेत्र के दो उपक्रमों अर्थात् एनएफएल और आरसीएफ को हस्तांतरित कर दिया गया है और वे अपने नैनो यूरिया संयंत्र भी स्थापित कर रहे हैं जो क्रमश: जुलाई, 2024 और मार्च 2024 में चालू हो जाएंगे। इन संयंत्रों के चालू होने से नैनो उर्वरकों के उत्पादन की कुल क्षमता 44 करोड़ बोतल प्रति वर्ष हो जाएगी जो 44 करोड़ यूरिया बैग, लगभग 200 एलएमटी के बराबर होगी और इसमें 90 एलएमटी यूरिया के आयात को कम करने की क्षमता है। इसके अलावा, इस नैनो उर्वरक के स्थिर हो जाने और किसान समुदाय के बीच बहुत लोकप्रिय हो जाने के बाद रॉयल्टी के आधार पर प्रौद्योगिकी को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की संभावनाएं हैं। समिति को यह भी सूचित किया गया था कि नैनो उर्वरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए सब्सिडी/प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अलग से बजट शीर्ष की आवश्यकता की परिकल्पना नहीं की गई है। चूंकि नैनो उर्वरक लागत प्रभावी, पर्यावरण के अनुकूल, परिवहन से आसान, फसल उत्पादकता में सुधार सरकार के सब्सिडी व्यय को काफी हद तक बचाने की क्षमता रखते है, इसलिए समिति निम्नलिखित सिफारिश करती है:-

(i) उर्वरक विभाग सार्वजनिक और निजी कंपनियों द्वारा विभिन्न नैनो उर्वरकों के अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करे और इस संबंध में वित्तीय सहायता पर विचार करे।

(ii) उर्वरक विभाग नैनो उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करने पर विचार करे ताकि उन्हें किसानों के लिए बहुत सस्ता और आकर्षक बनाया जा सके।

(iii) चूंकि इस स्मार्ट उर्वरक के उपयोग से दीर्घावधि में हमारी आयात निर्भरता दूर हो जाएगी, इसलिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/निजी संस्थाओं द्वारा नैनो उर्वरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए प्रोत्साहनों पर विचार किया जाए।

(iv) नैनो उर्वरकों की विशेषताओं के बारे में शिक्षित करने के लिए किसानों के बीच एक प्रभावशाली जागरूकता अभियान शुरू किया जाए।

(v) प्रारंभ में नैनो उर्वरकों को किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए पांरपरिक उर्वरकों की बिक्री के साथ टैग (जोड़ा) किया जा सकता है।

(vi) चूंकि नैनो उर्वरकों का उपयोग इस क्षेत्र में एक गेम चेंजर हो सकता है, इसलिए विभाग अन्य उर्वरक पीएसयू और निजी उर्वरक कंपनियों को नैनो प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को प्रोत्साहित करे ताकि इसकी उत्पादन क्षमता को अधिकतम किया जा सके जो देश को न केवल अपनी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम बनाएगा बल्कि देश एक विशुद्ध निर्यातक भी बन जाएगा।

(vii) उर्वरक विभाग कृषि मंत्रालय, नागर विमानन विभाग के साथ समन्वय करके प्राथमिकता के आधार पर नैनो उर्वरकों के फोलियर अनुप्रयोग के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करे, जिसमें उर्वरक विनिर्माण कंपनियों, किसानों और ग्रामीण उद्यमियों आदि से इनपुट मांगे जाएं ताकि इसके सुविधाजनक और कुशल उपयोग के लिए प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

समिति को इस मामले में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।"

<u>सरकार का उत्तर</u>

2.13 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवम् उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) ने निम्नानुसार बताया है:-

(i) नैनो यूरिया को दुनिया में पहली बार इफको-नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर (एनबीआरसी) कलोल, गुजरात में एक मालिकाना पेटेंट तकनीक के माध्यम से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। नैनो यूरिया का परीक्षण 22 आईसीएआर संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा 43 स्थानों पर 13 प्रमुख फसलों पर किया गया है। इसके अलावा आईसीएआर और केवीके के पर्यवेक्षण में पिछले तीन कृषि मौसमों में 94 फसलों पर किसानों के खेतों पर 11000 परीक्षण किये गये हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 24 फरवरी, 2021 की अधिसूचना के द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) के तहत नैनो यूरिया (तरल) को नैनो उर्वरक के रूप में अनंतिम रूप से अधिसूचित किया है।

इसके अलावा, इफको ने सूचित किया है कि नैनो डीएपी, नैनो जिंक, नैनो कॉपर जैसे नैनो उर्वरकों के लिए भी अनुसंधान और विकास के प्रयास शुरू किए गए हैं। इन नैनो उर्वरकों के विनिर्माण के साथ-साथ राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) के तहत किए गए प्रयोगों के माध्यम से उनकी प्रभावकारिता स्थापित करने के लिए निरंतर अनुसंधान और विकास के प्रयास किए गए हैं। उनकी रिपोर्टें उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) में शामिल करने के लिए डीएएण्डएफडब्ल्यू को प्रस्तुत कर दी गई हैं।

(ii) नैनो उर्वरक पारंपरिक सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की तुलना में सस्ते हैं और इसलिए, नैनो उर्वरकों के उत्पादन के लिए सरकार से सब्सिडी की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

(iii) नैनो उर्वरक पांरपरिक सब्सिडी उर्वरकों की तुलना में सस्ते हैं और इसलिए, नैनो उर्वरकों के उत्पादन के लिए सरकार से सब्सिडी की आवश्यकता नहीं हो सकती है। इसलिए, नैनो उर्वरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए सब्सिडी/प्रोत्साहन की परिकल्पना नहीं की गई है।

(iv) नैनो उर्वरक के उपयोग को जागरूकता शिविरों, वेबिनार, नुक्कड़ नाटकों, खेत पर प्रस्तुतियों किसान सम्मेलनों और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों आदि के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। उर्वरक विभाग ने नैनो यूरिया के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए नैनो यूरिया पर अंग्रेजी, हिंदी और चार अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में एक फिल्म तैयार की है।

(v) वर्तमान में, उर्वरक विभाग उर्वरकों की टैगिंग को प्रोत्साहित नहीं करता है। तथापि, नैनो उर्वरक के उपयोग को जागरूकता शिविरों, वेबिनार नुक्कड़ नाटकों, खेत पर प्रस्तुतियां किसान सम्मेलनों और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों आदि के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। उर्वरक विभाग ने नैनो यूरिया के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु नैनो यूरिया पर अंग्रेजी, हिंदी और चार अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में एक फिल्म तैयार की है।

(vi) नैनो यूरिया के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों (सीपीएसयू) नामत: नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) और राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) ने इफको से नैनो यूरिया की प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने के लिए इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव (इफको) के साथ गैर प्रकटीकरण करार (एनडीए) और समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। नैनो यूरिया संयंत्रों का विवरण इस प्रकार है:-

स्थान	उत्पादन क्षमता बोतलें (500 मिली) प्रति वर्ष (करोड़ में)	वाणिज्यिक उत्पादन/प्रत्याशित वाणिज्यिक उत्पादन
इफको कलोल गुजरात	5.0	अगस्त 2021
इफको फूलपूर उ.प्र.	6.0	सितम्बर 2022
इफको आंवला उ.प्र.	6.0	अप्रैल 2023
इफको बेंगलुरू, कर्नाटक	6.0	मार्च 2024
आरसीएफ ट्रॉम्बे महाराष्ट्र	5.0	मार्च 2024
एनएफएल नंगल पंजाब	5.0	जुलाई 2024
इफको देवघर झारखंड	6.0	नवम्बर 2024
इफको असम	5.0	नवम्बर 2025
वर्ष 2025 तक क्षमता	44.0 करोड़ बोतलें प्रति वर्ष	

इफको से नैनो यूरिया की तकनीक को ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड (बीवीएफसीएल) और फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) को नि:शुल्क रूप से हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में, इफको ने सूचित किया है कि भारत में इफको के स्वामित्व वाली प्रौद्योगिकी के आधार पर नैनो यूरिया (तरल) उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए लाइसेंस और जानकारी प्रदान करने के लिए लाइसेंस शुल्क और उत्पादन आधारित रॉयल्टी शुल्क प्रभार्य आधार पर होगा।

(viii) विभाग ने तरल उर्वरकों के ड्रोन छिड़काव के लिए उद्यमियों को तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। दिशा-निर्देश की प्रति अवलोकन हेतु अनुलग्नक-I पर है''।

सिफ़ारिश सं. 12

<u>एचयूआरएल (हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड) को ब्याज मुक्त ऋण</u>

2.14 एचयूआरएल (हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड) को ब्याज मुक्त ऋण के संबंध में, समिति ने निम्नानुसार सिफारिश की थी:-

"समिति यह जानकर प्रसन्न हुई कि सीसीईए ने 01.08.2018 को एचयूआरएल परियोजनाओं (सिंदरी, गोरखपुर और बरौनी) के लिए निर्माण (आईडीसी) घटक के दौरान ब्याज के बराबर 1257.82 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल) को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, पहली किस्त के रूप में एचयूआरएल को 813.24 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। समिति ने चिंता के साथ नोट किया कि पूंजी खंड के तहत वर्ष 2021-22 के दौरान एचयूआरएल के लिए ब.अ. और सं.अ. 444.58 करोड़ रुपये था। लेकिन इसके लिए वास्तविक व्यय 31.01.2022 की स्थिति के अनुसार शून्य था। समिति को यह भी पता चला कि दूसरी किस्त के संवितरण पर कार्रवाई करते समय यह नोट किया गया था कि आईडीसी को सीसीईए द्वारा शून्य तिथि से 36 महीने से अनधिक की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था। तथापि, एचयूआरएल ने बैंकरों से ऋण की पहली किस्त के आहरण की तारीख से 36 महीने की अवधि के लिए गणना किए गए ब्याज के बराबर आईएफएल की मांग की थी। सीसीईए द्वारा यथा अनुमोदन अनुसार, विभाग ने आईडीसी के समतुल्य आईएफएल को शून्य तिथि से 36 महीनों की अवधि के लिए सीमित कर दिया और तदनुसार आईएफएल की दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में एचयूआरएल को 81.56 करोड़

रुपये की राशि जारी की गई और 36302 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त राशि वापस कर दी गई। इस संबंध में समिति निम्नलिखित सिफारिशें करती है:-

(i) यह चिंता का विषय है कि उर्वरक विभाग और वित्त मंत्रालय ने 2021-22 के लिए बजट अनुमान तैयार करने से पहले ऋण के अनुमोदन के समय सीसीईए द्वारा निर्धारित शर्तों का ठीक से अध्ययन नहीं किया और इससे लगभग एक वर्ष के लिए 363.02 करोड़ रुपये की अनावश्यक लॉकिंग हुई है, जिसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए संसाधनपूर्वक किया गया होता है। समिति को आशा है कि बजटीय आबंटन के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय विभाग अधिक सावधानी बरतेगा ताकि दुर्लभ संसाधनों की अनावश्यक लॉकिंग से बचा जा सके।

(ii) ब्याज की गणना की तारीख संबंधी मुद्दे सहित ब्याज मुक्त ऋण से संबंधित मामले पर पुनर्विचार किया जाए और एचयूआरएल को शेष ऋण रााशि जारी करने की संभावनाओं का पता लगाया जाए ताकि यह यूरिया विनिर्माण संयंत्रों के समय पर पुनरुद्धार में सहायक हो। समिति को इस मामले में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।"

<u>सरकार का उत्तर</u>

2.15 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवम् उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) ने निम्नानुसार बताया है:-

(i) दिनांक 01.08.2018 के सीसीईए अनुमोदन और 08.09.2020 को एचयूआरएल और उर्वरक विभाग के बीच हस्ताक्षरित ऋण करार के अनुसार, प्रारंभ की तिथि से 36 महीने की अवधि के लिए निर्माण के दौरान दिये गए वास्तविक ब्याज के बराबर ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल) या 1257.82 करोड़ रु. जो भी कम हो, एचयूआरएल को देय था। चालू करने की निर्धारित तिथि तक एचयूआरएल द्वारा किया गया वास्तविक आईडीसी 89.4.80 करोड़ रु. था। इसलिए, ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल) की राशि मात्र 894.80 करोड़ रुपये तक सीमित की गई थी और विभाग द्वारा शेष 363.02 रु. अभ्यर्पित कर दिये गये थे।

(ii) चूंकि आईएफएल को सीसीईए अनुमोदन के अनुसार संवितरित किया गया था और बाद में एचयूआरएल और उर्वरक विभाग के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, अत: शेष ऋण राशि को एचयूआरएल को जारी करने की कोई गुंजाइश नहीं है।"

अध्याय – तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती

शून्य

अध्याय – चार

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं

सिफ़ारिश सं. 1

2022-23 के बजट अनुमानों में अपर्याप्त बजटीय आबंटन

4.1 2022-23 के लिए बजट अनुमानों में अपर्याप्त बजटीय आबंटन के संबंध में, समिति ने निम्नानुसार सिफारिश की थी:-

समिति नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के लिए उर्वरक विभाग से संबंधित मांग संख्या 6 के संबंध में 109242.23 करोड़ रुपये का बजटीय आबंटन किया गया है। यह आबंटन विभाग की विभिन्न योजनाओं और नीतियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 176760.59/- करोड़ रुपये की अनुमानित मांग के संबंध में किया गया है। इस संबंध में, समिति यह जानकर निराश है कि बजट अनुमान आबंटन में 67518.36/- करोड़ रुपये की कटौती की गई है जो विभाग की अनुमानित आवश्यकताओं का 38% है। उर्वरक विभाग के अनुसार, वर्ष 2022-23 के लिए सब्सिडी निधियों की अनुमानित आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवंटित राशि पर्याप्त नहीं है और अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता का कच्चे माल और उर्वरकों के मूल्यों के आधार पर 2022-23 के लिए सं.अ./अनुपूरक के समय पूनर्मूल्यांकन किया जाएगा और मांग की जाएगी। तथापि, सं.अ. चरण से पहले व्यय केवल ब.अ. आबंटन के आधार पर किया जाता है। सं.अ. को अधिकतर प्रत्येक वर्ष दिसम्बर तक अंतिम रूप दिया जाता है और इसे अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच के माध्यम से नियमित किया जाता है। इसलिए, सं.अ. चरण में अनुमोदित निधियां ज्यादातर वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान ही विभाग तक पहुंचती हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान ब.अ. चरण में 84041.39 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था जिसे संशोधित स्तर पर बढ़ाकर 149663.28 करोड़ रुपये कर दिया गया था, जो ब.अ. की तुलना में लगभग 78% अधिक था। निधियों की इतनी देर से प्राप्ति के परिणामस्वरूप, उर्वरक विभाग 31 जनवरी, 2022 की स्थिति के अनुसार केवल 117675.14 करोड़ रुपये खर्च करने में सक्षम था। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, समिति का मानना है कि 2022-23 के लिए अनुमानित आवश्यकता और बजटीय आबंटन में अंतर के परिणामस्वरूप अंतत:

यूरिया और पीएण्डके उर्वरक सब्सिडी दोनों के संबंध में दावों के भुगतान/निपटान में देरी हो सकती है और इस प्रकार समग्र रूप से उर्वरक क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, समिति ने पहले भी सिफारिश की थी कि वित्त मंत्रालय को उर्वरक विभाग को ''प्राथमिकता विभाग'' के रूप में घोषित करने के लिए उच्चतम स्तर पर आश्वस्त किया जाए ताकि विभाग की निधि आवश्यकताओं को बिना किसी कटौती के पूरा किया जा सके। बजट अनुमान स्तर पर निधियों की भारी कमी पूरे वर्ष के लिए व्यय योजना को बाधित करेगी और सब्सिडी भुगतान के लिए संशोधित अनुमान स्तर पर निधि का पर्याप्त आबंटन वित्त मंत्रालय और उर्वरक विभाग दोनों की खराब योजना को दर्शाता है। अत:, समिति सिफारिश करती है कि उर्वरक विभाग अपनी बजटीय योजना प्रक्रिया को मजबूत करे और निधियों की सटीक मांग करे ताकि अपनी सब्सिडी योजनाओं के लिए बिना किसी कटौती के ब.अ. स्तर पर ही अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धन आवंटित करने के लिए वित्त मंत्रालय को विश्वस्त जा सके। सब्सिडी प्राप्त दरों पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के महत्व को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय इस विभाग को प्राथमिकता दे और विभाग द्वारा अपेक्षित निधियों को ब.अ. स्तर पर ही आवंटित करने का प्रयास करे जिससे विभाग को निधियों का समय पर और इष्टतम उपयोग करने में सुविधा होगी और अंतत: देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसके अनुपालन के लिए इस समिति द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से वित्त मंत्रालय को भी अवगत कराया जाए। समिति को इस संबंध में की गई प्रगति से अवगत कराया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

4.2 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवम् उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) ने निम्नानुसार बताया है:-

" उर्वरक विभाग उर्वरकों की आवश्यकता एवं कच्चे माल एवं उर्वरकों की विद्यमान कीमतों के आधार पर आगामी वर्ष के लिए किये गये अनुमानों के आधार पर बजट प्रस्ताव भेजता है। इसे उचित औचित्य के साथ वित्त मंत्रालय को अवगत करा दिया जाता है। यदि कभी अधिक धन की आवश्यकता होती है, तो वित्तीय वर्ष के दौरान निधि की स्थिति/उपयोग के आधार पर विभिन्न चरणों, अर्थात प्रथम, द्वितीय और तृतीय पूरक तथा संशोधित अनुमान चरण, में इसकी मांग की जाती है। विभाग यह सुनिश्चित

करता है कि निधि की कोई कमी नहीं रहे और हर स्तर पर आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है तथा वित्त मंत्रालय से निधि की मांग की जाती है। विगत में, वित्त मंत्रालय ने हमारी आवश्यकता के अनुसार सभी चरणों में निधि उपलब्ध कराई गई हैं।

स्थायी समिति की सिफारिशों को वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है।"

समिति की टिप्पणियां
(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय - I का पैरा नं. 1.7 देखें)

सिफ़ारिश सं. 2

<u>सं.अ. 2022-23 में आबंटन के लिए प्रस्तावों को समय पर रखना</u>

4.3 आरई 2022-23 में आबंटन के लिए प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत करने के संबंध में, समिति ने निम्नानुसार सिफारिश की थी:-

"समिति इस बात को नोट करके चिंतित है कि विभाग को पोषकतत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के लिए 72702 करोड़ रुपये के बजटीय प्रस्ताव के स्थान पर ब.अ. 2022-23 में 42000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यूरिया सब्सिडी के संबंध में, विभाग को वर्ष 2022-23 में 104016.64 करोड़ रुपये की आवश्यकता की तुलना में 67202.42 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, यूरिया सब्सिडी के संबंध में 2022-23 के लिए ब.अ. आबंटन 2021-22 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 21% कम है और 2021-22 के सं.अ. की तुलना में इस बार एनबीएस सब्सिडी में 35% की कमी आई है। वर्ष 2022-23 के ब.अ. चरण में बजटीय आबंटन में कमी के कारणों और यूरिया और एनबीएस सब्सिडी योजनाओं की निधि आवश्यकताओं को पूरा करने में इसकी पर्याप्तता के संबंध में उर्वरक विभाग ने कहा है कि वित्त मंत्रालय ने सरकार की प्राथमिकताओं और उपलब्ध वित्तीय आवश्यकता के अनुसार निधियों का आबंटन किया है। निधियों की वास्तविक आवश्यकता बाजार में कुछ उर्वरकों और कच्चे माल

के प्रचलित मूल्यों पर निर्भर करेगी। हालांकि, यदि आवश्यकता होती है, तो यह वित्त मंत्रालय से अनुरोध करेगा कि वह सं.अ. 2022-23 चरण पर और 2022-23 के दौरान अनुपूरक अनुदान मांगों में अतिरिक्त धन आवंटित करे। विगत वर्षों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, समिति का विचार है कि 2022-23 के ब.अ. चरण में बजटीय आबंटन यूरिया और एनबीएस सब्सिडी योजनाओं के अंतर्गत संपूर्ण निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अत:, समिति सिफारिश करती है कि उर्वरक विभाग पूरे वर्ष के लिए निधि की आवश्यकता का आकलन करे और सं.अ. 2022-23 में अतिरिक्त आबंटन करने के लिए वित्त मंत्रालय के समक्ष अपना प्रस्ताव समय पर रखे ताकि वर्ष के दौरान स्वदेशी और आयातित उर्वरकों दोनों के लिए यूरिया और एनबीएस सब्सिडी योजनाओं के अंतर्गत अपनी अनुमानित आवश्यकताओं को पूरा कर सके। समिति को इस संबंध में किए गए उपायों से अवगत कराया जाए।"

<u>सरकार का उत्तर</u>

4.4 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवम् उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) ने निम्नानुसार बताया है:-

"समिति द्वारा सुझाई गई सिफारिश पर विधिवत विचार किया जाता है। कार्यक्रम प्रभाग यूरिया और एनबीएस योजनाओं के तहत व्यय और उपलब्ध निधियों की नियमित रूप से निगरानी कर रहे हैं। निधि की अतिरिक्त आवश्यकता होने पर, यदि कोई हो, उनकी संशोधित अनुमान - 2022-23 चरण में समय पर मांग की जाएगी।"

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय - I के पैरा नंबर 1.10 देखें)

सिफ़ारिश सं. 3

<u>अग्रेनीत (कैरी-ओवर) देनदारियों को समाप्त करने की आवश्यकता</u>

4.5 अग्रेनीत (कैरी-ओवर) देनदारियों को समाप्त करने की आवश्यकता के संबंध में, समिति ने निम्नानुसार सिफारिश की थी:-

पिछले कुछ वर्षों में स्वदेशी और आयातित यूरिया और पीएण्डके उर्वरक दोनों के संबंध में भारी मात्रा में कैरी ओवर देनदारियों के इकट्ठा होने पर जो उचित बजटीय योजना की कमी को दर्शाता है, अपनी चिंता व्यक्त करते हुए समिति ने निम्नानुसार सिफारिश की:-

"समिति यह नोट करके चिंतित है कि स्वदेशी और आयातित यूरिया के संबंध में 2021-22 के दौरान सब्सिडी के भुगतान के लिए अनुमानित अग्रेनीत (कैरी-ओवर) देनदारियां (सीओएल) क्रमश: 6000 करोड़ रुपये और 12300 करोड़ रुपये होगी और स्वदेशी और आयातित पीएण्डके उर्वरकों के संबंध में यह क्रमश: 1300 करोड़ रुपये और 2073 करोड़ रुपये होगी। 2021-22 के अंत तक स्वदेशी और आयातित यूरिया और पीएण्डके उर्वरकों के संबंध में सीओएल के रूप में कुल 21673 करोड़ रुपये जमा होने की संभावना है। इस संबंध में, उर्वरक विभाग ने बताया कि उसने 2021-22 की तिमाही-IV में स्वदेशी यूरिया निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तीसरे अनुपूरक अनुदान के तहत 6000 करोड़ रुपये के अनुदान का अनुरोध किया है और यदि अनुपूरक अनुदान प्रदान नहीं किया जाता है, तो वित्त वर्ष 2022-23 में 6000 करोड़ रुपये की अनुमानित अग्रेनीत (कैरी-ओवर) देनदारियों का निपटान किया जाएगा। विभाग ने वित्त मंत्रालय से आयातित यूरिया के संबंध में सीओएल को समाप्त करने के लिए तीसरे अनुपूरक अनुदान के तहत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने का भी अनुरोध किया है। हालांकि, स्वदेशी पीएण्डके तथा आयातित पीएण्डके के संबंध में सीओएल को उपलब्ध बजट (सं.अ.2021-22) से मार्च, 2022 के अंत तक पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाने की संभावना है। समिति वर्ष-दर-वर्ष अग्रेनीत (कैरी-ओवर) देनदारियों को संचित करने की उर्वरक विभाग की प्रवृत्ति की निंदा करती है। यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से इसकी बजटीय प्रक्रिया में उचित योजना की कमी को दर्शाती है। इस संबंध में, समिति सिफारिश करती है कि उर्वरक विभाग एक ठोस तंत्र विकसित करे ताकि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी और आयातित उर्वरकों दोनों के संबंध में सब्सिडी के भुगतान के लिए सं.अ. चरण निधि आवश्यकताओं का सटीक अनुमान लगाया जा सके और सं.अ. स्तर पर निधि आबंटन के लिए वित्त मंत्रालय के समक्ष एक सटीक मांग रखें ताकि विभाग वित्तीय वर्ष के अंत तक बिना किसी सीओएल के सब्सिडी के भुगतान के लिए संपूर्ण सं.अ. आबंटन का समय पर उपयोग कर सके। उर्वरक विभाग के लिए सं.अ. आवंटनों का निर्णय लेते समय इस सिफारिश की एक प्रति इसके अनुपालन के लिए वित्त मंत्रालय को भी भेजी जाए।"

सरकार का उत्तर

4.6 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवम् उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) ने निम्नानुसार बताया है:-

"उर्वरक कंपनियों के सब्सिडी/डीबीटी दावों का निपटान निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन नियमित रूप से किया जा रहा है। स्वदेशी यूरिया के संदर्भ में 6000.00 करोड़ रुपए की अनुमानित अग्रेनीत देनदारियों की तुलना में 2021-22 के लिए वास्तविक अग्रेनीत देनदारियां 1529.37 करोड़ रुपए हैं। संशोधित अनुमान 2021-22 में आवंटित निधियों के उपयोग और स्वदेशी यूरिया के संबंध में अग्रेनीत देयता (2021-22) की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है:

2021-22 की निधियों की स्थिति		अग्रेनीत देयताओं की स्थिति		
अंतिम आबंटन	व्यय	01.04.2022 की स्थिति के अनुसार अग्रेनीत देनदारी	2022-23 के दौरान आज की तारीख तक भुगतान की गई अग्रेनीत देनदारियां	आज की तारीख तक शेष अग्रेनीत देनदारियां
54619.72	54619.72	1529.37	1475.94	53.43

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए (01.04.2022 की स्थिति के अनुसार) स्वदेशी पीएंडके, आयातित पीएंडके और आयातित यूरिया के संबंध में अग्रेनीत देयताएं (सीओएल) निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	स्कीम	1.4.22 की स्थिति के अनुसार सीओएल	टिप्पणी

1	स्वदेशी पीएंडके	237.66 करोड़	आईएफएमएस के नए मालभाड़ा मॉड्यूल में तकनीकी खराबी के कारण 237.66 करोड़ रुपए के डिजिटल मालभाड़ा बिल पास नहीं किए जा सके। ये दावे पहली बार डिजिटल रूप से तैयार किए गए थे।
2	आयातित पीएंडके	2.57 करोड़	अधूरे दस्तावेजों के कारण 2.57 करोड़ रु. के दावों पर कार्रवाई नहीं की जा सकी।
3	आयातित यूरिया	869.50 करोड़	वित्त वर्ष 2021-22 में आवंटित निधि का पूरी तरह उपयोग कर लिया गया।
4	शहरी कम्पोस्ट	0.00	-

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय - I का पैरा संख्या 1.13 देखें)

सिफ़ारिश सं. 5

<u>एसएसपी और शीरा से उत्पन्न पोटाश का संवर्धन</u>

4.7 समिति ने शीरा से प्राप्त एसएसपी एवं पोटाश के संवर्धन के संबंध में निम्न अनुशंसा की थी:-

समिति ने यह जानकर प्रसन्नता व्यक्त की कि सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) उर्वरक का निर्माण स्वदेशी रूप से किया जाता है और शीरा से प्राप्त पोटाश (पीडीएम) को उर्वरकों के स्वदेशी स्रोत को बढ़ावा देने के लिए एनबीएस योजना के तहत शामिल किया गया है, जो डीएपी के लिए बहुत ही लागत प्रभावी विकल्प हैं, समिति ने निम्नवत सिफारिश की:

"समिति यह जानकर प्रसन्न है कि सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) उर्वरक हमारे देश में 100% स्वदेशी रूप से विनिर्मित है और उर्वरकों के स्वदेशी स्रोत को बढ़ावा देने के लिए शीरा (पीडीएम) से उत्पन्न पोटाश को एनबीएस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। उर्वरक विभाग के अनुसार, देश में एसएसपी की 111 विनिर्माण इकाइयां हैं और 2020-21 और 2021-22 के रबी सीजन के दौरान एसएसपी का कुल उत्पादन क्रमश: 23.66 एलएमटी और 21.53 एलएमटी था। किसान डीएपी के एक बैग के स्थान पर 20 किलोग्राम यूरिया के साथ एसएसपी के दो बैग का उपयोग करते हैं। यह भी पता चला है कि पिछले वर्ष राजस्थान सरकार ने आदेश जारी किया था कि डीएपी के स्थान पर एसएसपी के उपयोग को मानक प्रचलन बनाया जाना चाहिए क्योंकि एसएसपी बहुत लागत प्रभावी है और इस प्रकार इसे गरीब आदमी के डीएपी के रूप में जाना जाता है। समिति को यह भी नोट करते हुए प्रसन्नता है कि उर्वरक विभाग अन्य राज्यों में भी इसकी उपलब्धता को सुकर बनाने के लिए माल ढुलाई सब्सिडी योजना में एसएसपी को शामिल करने की योजना बना रहा है। तथापि, एसएसपी उद्योग का उपयोग कुछ राज्यों तक ही सीमित है जहां इसका मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। इसलिए, समिति की यह पुरजोर सिफारिश है कि विभाग सरकारी निजी भागीदारी मोड के माध्यम से भी देश भर में एसएसपी और पीडीएम विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को जोरदार ढंग से बढ़ावा दे ताकि उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो ताकि वे देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। यह संतुलित उर्वरता में भी सहयोग करेगा, कीमती विदेशी मुद्रा को बचाएगा और लम्बे समय में एनपीके उर्वरकों के संबंध में हमारी आयात निर्भरता को कम करेगा। एनपीके उर्वरकों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, समिति को आशा है कि उर्वरक विभाग देश में एसएसपी और पीडीएम के संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा और समिति को इस मामले में उसके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में अवगत कराएगा।"

सरकार का उत्तर

4.8 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवम् उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) ने निम्नानुसार बताया है:-

"एसएसपी को मालभाड़ा सब्सिडी योजना और उर्वरक विभाग की उर्वरक संचलन/आपूर्ति में शामिल करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल द्वारा 28.4.22 को मंजूरी दी गई है। इस समावेशन से एसएसपी के निर्माताओं को पूरे देश में एसएसपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उन राज्यों में भी एसएसपी उपलब्ध कराने में सुविधा हो सकती है जहां इसका निर्माण नहीं होता है। उर्वरक विभाग एसएसपी को सतत रूप से बढ़ावा दे रहा है और इसके परिणामस्वरूप आईएफएमएस डेटा से यह देखा गया है कि रबी 2021-22 (अक्टूबर से दिसंबर तक) के दौरान एसएसपी की बिक्री में 56% की वृद्धि हुई है और डीएपी में 21% की कमी आई है। विश्लेषण के अनुसार, भारत के प्रमुख राज्यों जैसे असम, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आदि में एसएसपी की बिक्री में वृद्धि के साथ डीएपी की बिक्री में उतनी ही कमी आई।

शीरे से प्राप्त पोटाश (पीडीएम) एक स्वदेशी उर्वरक है जिसमें 14.5% पोटाश अवयव होता है। इसे उर्वरक विभाग की अधिसूचना संख्या 23011/1/2021-पीएंडके दिनांक 13.10.2021 के माध्यम पोषकतत्व आधारित सब्सिडी प्रणाली में शामिल किया गया है। पीडीएम विनिर्माता कंपनियों को एनबीएस प्रणाली के तहत पंजीकृत करने के दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है और शीघ्र ही जारी किया जाएगा।"

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय - I के पैरा संख्या 1.16 देखें)

अध्याय – पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं

शून्य

नई दिल्ली;

04 अगस्त, 2022

13 श्रावण , 1944 (शक)

कनिमोझी करुणानिधि

सभापति,

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

परिशिष्ट-I

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22)

समिति की नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरूवार, 04 अगस्त, 2022 को 1500 बजे से 1645 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि, सभापति

लोकसभा

2. श्री रमाकान्त भार्गव
3. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा
4. श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि
5. श्री कृपानाथ मल्लाह
6. श्री सत्यदेव पचौरी
7. डॉ.एम.के. विष्णु प्रसाद
8. श्री अरुण कुमार सागर
9. श्री इंद्रा हांग सुब्बा

राज्य सभा

10. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला
11. डा. अनिल जैन

12. श्री अरूण सिंह

13. श्री विजय पाल सिंह तोमर

14. श्री के. वेंलेल्वना

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवीन कुमार झा - निदेशक
3. श्री कुलविन्दर सिंह - उप सचिव
4. श्री पन्ना लाल - अवर सचिव

XXX XXX XXX

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया जिसे निम्नलिखित प्रारूप की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों पर विचार करने और स्वीकार करने के लिए आयोजित की गई थी:

(i) XXX XXX XXX

(ii) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों 2022-23' से संबंधित बत्तीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छत्तीसवां प्रतिवेदन।

(iii) XXX XXX XXX

(iv) XXX XXX XXX

3. प्रारूप प्रतिवेदनों में निहित महत्वपूर्ण टिप्पणियों/सिफारिशों का अवलोकन करते हुए माननीय सभापति ने सदस्यों के विचारों/सुझावों हेतु अनुरोध किया।

4. तत्पश्चात् समिति ने प्रारूप की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदनों को एक-एक करके विचारार्थ लिया और कुछ विचार-विमर्श के बाद उन्हें अपनाया।

5. इसके बाद समिति ने माननीय सभापति को की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और इसे संसद में प्रस्तुत किये जाने के लिए प्राधिकृत किया।

6.	XXX	XXX	XXX
7.	XXX	XXX	XXX
8.	XXX	XXX	XXX
9.	XXX	XXX	XXX
10.	XXX	XXX	XXX

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

XXX ***इस प्रतिवेदन से सम्बंधित नहीं है।***

परिशिष्ट-II

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के बत्तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।

	सिफ़ारिशों की कुल संख्या	12
I	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है: (*सिफारिश संख्या देखें* 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12)	8
	कुल का प्रतिशत	67%
II	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती: शून्य	00
	कुल का प्रतिशत	00.00%
III	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है: (*सिफारिश संख्या देखें* 1,2,3 और 5	04
	कुल का प्रतिशत	33%
IV	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं: शून्य	00
	कुल का प्रतिशत	00.00%